MVS FOUNDATION

FREE NOTES

POLITICAL SCIENCE (317)

CHAPTERWISE NOTES

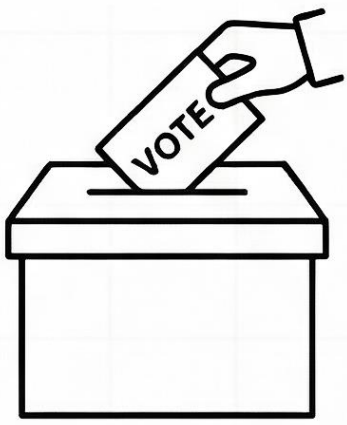

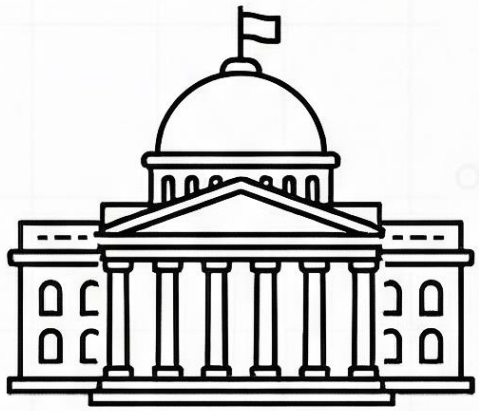

POLITICAL SCIENCE

Sl. No.	Module	Chapters (Public Examination)	Marks
1	**Module 1: Individual and the State**	L-3: Distinction Between Society, Nation, State and Government L-4: Major Political Theories	14
2	**Module 2: Aspects of the Constitution of India**	L-6: Fundamental Rights L-7: Directive Principles of State Policy and Fundamental Duties L-8: Indian Federal System L-9: Emergency Provisions	15
4	**Module 4: Democracy at Work**	L-18: Electoral System in India L-19: National Political Parties L-20: Regionalism and Regional Parties L-21: Public Opinion and Pressure Group	12

Component	Details	Marks
Public Exam (Selected Modules 1,2,4,)	Total Chapters : 10	41
Practical Exam	NA	0
TMA	Tutor Marked Assignment	20
Final Possible Marks		**61 Marks**

विषय- सूची

1	समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद
2	प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत
3	मौलिक अधिकार
4	राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य
5	भारतीय संघीय व्यवस्था
6	आपातकालीन प्रावधान
7	भारत में चुनाव प्रक्रिया
8	राष्ट्रीय राजनीतिक दल
9	क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल
10	जनमत तथा दबाव समूह

1

समाज, राष्ट्र, राज्य और सरकार में भेद

समाज और राज्य

राज्य और समाज मानव सभ्यता के विकास में समाज और राज्य दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि वे परस्पर जुड़े हुए हैं, फिर भी उनकी पहचान, नियमों और शक्तियों में प्रमुख अंतर हैं, जिन्हें नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

परिभाषाएं:

समाज: एक साथ रहने वाले लोगों का एक बड़ा समूह, जो रीति-रिवाजों और संबंधों (परिवार, दोस्तों, धर्म) को साझा करते हैं। यह बहुत पुराना है।

राज्य: सरकार और कानूनों वाला एक राजनीतिक रूप से संगठित समाज। इसके पास दंड देने की शक्ति होती है

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रमुख अंतर:

क्र.सं.	आधार	राज्य	समाज
1	**उत्पत्ति**	बाद का विकास (राजनीतिक संरचना)	राज्य से पहले (मनुष्य के साथ आरंभ)
2	**भू-भाग**	निश्चित भू-भाग आवश्यक	निश्चित भू-भाग नहीं; वैश्विक हो सकता है
3	**संप्रभुता**	संप्रभुता होती है (दंड देने की शक्ति)	संप्रभुता नहीं; नैतिक प्रभाव का प्रयोग
4	**संगठन**	राजनीतिक संगठन	सामाजिक संगठन
5	**नियम**	कानूनों के माध्यम से कार्य	रीति-रिवाज/परंपराओं के माध्यम से कार्य

राज्य और अन्य संगठन

संगठन लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जो किसी **विशेष उद्देश्य** की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करता है। जैसे - परिवार, क्रिकेट क्लब, चर्च, रेड क्रॉस, ट्रेड यूनियन आदि।

राज्य और अन्य संगठनों में अंतर

क्र.सं.	आधार	राज्य	अन्य संगठन
1	**सदस्यता**	अनिवार्य	स्वैच्छिक
2	**उद्देश्य**	सामान्य उद्देश्य	विशेष उद्देश्य
3	**क्षेत्र**	निश्चित और स्थायी	क्षेत्र निश्चित नहीं
4	**संप्रभुता**	संप्रभु होता है	संप्रभु नहीं होते

राज्य और सरकार

"राज्य '**मालिक**' है, सरकार '**सेवक**' है।"

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

राज्य और सरकार में अंतर

क्र.सं.	*आधार*	*राज्य*	*सरकार*
1	**तत्व**	चारों तत्वों से मिलकर बना	राज्य का केवल एक तत्व
2	**प्रकृति**	अमूर्त अवधारणा (अदृश्य)	मूर्त समूह (दृश्य)
3	**स्थायित्व**	स्थायी और स्थिर	अस्थायी (चुनावों से बदलती है)
4	**संप्रभुता**	मूल शक्ति रखता है	राज्य की ओर से शक्ति का प्रयोग
5	**भू-भाग**	अपना निश्चित भू-भाग	अपना अलग भू-भाग नहीं

राज्य और राष्ट्र

राज्य "**राजनीतिक**" है; राष्ट्र "**भावनात्मक**" है।

राष्ट्र

राष्ट्र उन लोगों का समूह है जिनका सामान्य इतिहास और संस्कृति होती है और जो इसे अपने स्वयं के राजनीतिक तंत्र या राज्य के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहते हैं।

राज्य और राष्ट्र में भेद

क्रम सं.	*आधार*	*राज्य*	*राष्ट्र*
1	**प्रकृति**	यह एक राजनीतिक अवधारणा है।	यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक इकाई है।
2	**संप्रभुता**	संप्रभुता इसकी मुख्य विशेषता है। राज्य का स्वतंत्र होना आवश्यक है।	इसका संप्रभु होना आवश्यक नहीं है। इसे राज्यत्व प्राप्त होने के बाद ही 'राष्ट्र-राज्य' कहा जाता है।
3	**एकता**	एकता बाह्य होती है। इसे कानूनों के माध्यम से ऊपर से लागू किया जाता है।	एकता आंतरिक होती है। यह भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से भीतर से उत्पन्न होती है।
4	**प्रकृति**	यह एक राजनीतिक अवधारणा है।	यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है।

राज्य = जनसंख्या + निश्चित भू-भाग + सरकार + संप्रभुता

सरकार = कानून बनाने और लागू करने वाली एजेंसी

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. राज्य और समाज में भेद स्पष्ट कीजिए। कोई पाँच अंतर लिखिए।

उत्तर- राज्य और समाज के बीच पाँच अंतर निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	*आधार*	*राज्य*	*समाज*
1	**उत्पत्ति**	बाद का विकास (राजनीतिक संरचना)	राज्य से पहले (मनुष्य के साथ आरंभ)
2	**भू-भाग**	निश्चित भू-भाग आवश्यक	निश्चित भू-भाग नहीं; वैश्विक हो सकता है
3	**संप्रभुता**	संप्रभुता होती है (दंड देने की शक्ति)	संप्रभुता नहीं; नैतिक प्रभाव का प्रयोग
4	**संगठन**	राजनीतिक संगठन	सामाजिक संगठन
5	**नियम**	कानूनों के माध्यम से कार्य	रीति-रिवाज/परंपराओं के माध्यम से कार्य

प्रश्न-2. राज्य और अन्य संगठनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- राज्य और अन्य संगठनों के बीच पाँच अंतर निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	*आधार*	*राज्य*	*अन्य संगठन*
1	**सदस्यता**	अनिवार्य	स्वैच्छिक
2	**उद्देश्य**	सामान्य कल्याण (समावेशी)	विशिष्ट उद्देश्य (सीमित)
3	**भू-भाग**	हमेशा निश्चित क्षेत्र तक सीमित	स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय
4	**संप्रभुता**	संप्रभु (सर्वोच्च शक्ति)	संप्रभुता नहीं (राज्य के कानूनों का पालन)

प्रश्न-3. "राज्य एक राजनीतिक संगठन है, परंतु यह अन्य संगठनों से भिन्न है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- राज्य एक राजनीतिक संगठन है क्योंकि यह लोगों के एक संगठित समूह से मिलकर बना होता है। परंतु यह सर्वोच्च होता है और अन्य स्वैच्छिक संगठनों (जैसे यूनियन या क्लब) से पाँच प्रमुख आधारों पर भिन्न होता है:

1. संप्रभुता: राज्य सर्वोच्च और संप्रभु होता है; संगठनों को राज्य के कानूनों का पालन करना पड़ता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **बल प्रयोग की शक्ति:** केवल राज्य ही शारीरिक दंड (जेल/जुर्माना) दे सकता है। संगठन केवल सदस्य को बाहर कर सकते हैं।

3. **सदस्यता:** राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है (जन्म से); संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है।

4. **उद्देश्य:** राज्य सामान्य कल्याण के लिए कार्य करता है; संगठन विशिष्ट हितों की पूर्ति करते हैं।

5. **भू-भाग:** राज्य के लिए निश्चित भू-भाग आवश्यक होता है; संगठनों के लिए नहीं।

प्रश्न-4 "राज्य स्थायी होता है, सरकार अस्थायी।" व्याख्या कीजिए।

उत्तर- यह कथन राज्य और उसकी एजेंसी के बीच एक मौलिक अंतर को स्पष्ट करता है।

1. राज्य स्थायी होता है: राज्य एक स्थायी संस्था है। यह तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक इसके चार तत्व—जनसंख्या, भू-भाग, सरकार और संप्रभुता - विद्यमान रहते हैं। शासक की मृत्यु होने पर भी राज्य बना रहता है। उदाहरण के लिए, भारत 1947 से एक ही राज्य बना हुआ है।

2. सरकार अस्थायी होती है: सरकार अल्पकालिक होती है। यह केवल वह तंत्र है जिसके माध्यम से राज्य कार्य करता है। लोकतंत्र में चुनावों या क्रांतियों के माध्यम से सरकारें बदलती रहती हैं।

निष्कर्ष: सरकार में परिवर्तन होने का अर्थ राज्य में परिवर्तन नहीं होता। सरकारें आती-जाती रहती हैं, परंतु राज्य स्थिर रहता है।

प्रश्न-5 राज्य और राष्ट्र में भेद स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- राज्य और राष्ट्र के बीच पाँच अंतर निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	*आधार*	*राज्य*	*राष्ट्र*
1	**प्रकृति**	यह एक राजनीतिक अवधारणा है।	यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक इकाई है।
2	**संप्रभुता**	संप्रभुता इसकी मुख्य विशेषता है। राज्य का स्वतंत्र होना आवश्यक है।	इसका संप्रभु होना आवश्यक नहीं है। इसे राज्यत्व प्राप्त होने के बाद ही 'राष्ट्र-राज्य' कहा जाता है।
3	**एकता**	एकता बाह्य होती है। इसे कानूनों के माध्यम से ऊपर से लागू किया जाता है।	एकता आंतरिक होती है। यह भावनाओं और संवेदनाओं से उत्पन्न होती है।
4	**प्रकृति**	यह एक राजनीतिक अवधारणा है।	यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2

प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत

परिचय

प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि समाज को किस प्रकार संगठित और शासित किया जाना चाहिए। इस अध्याय में तीन प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा की गई है -

1. उदारवाद

2. मार्क्सवाद

3. गांधीवाद

उदारवाद और मार्क्सवाद ने बीसवीं शताब्दी पर प्रभुत्व बनाए रखा, जबकि गांधीवाद दोनों के विकल्प के रूप में एक नैतिक एवं व्यावहारिक विचारधारा के रूप में उभरा।

उदारवाद

उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित है। यह निरंकुश राजतंत्र और पारंपरिक सत्ता को चुनौती देने के रूप में उभरा।

उदारवाद की प्रमुख विशेषताएँ:

1. व्यक्तिगत स्वतंत्रता: प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता का अधिकार है।

2. व्यक्ति-केन्द्रित सिद्धांत: राज्य और समाज का अस्तित्व व्यक्ति की सेवा के लिए है, न कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य और समाज के लिए।

3. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था: उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, निजी संपत्ति और अनुबंध की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

4. सीमित राज्य: राज्य को एक **"आवश्यक बुराई"** माना जाता है। इसकी भूमिका केवल **कानून और व्यवस्था बनाए रखने** तक सीमित होती है।

5. परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध: उदारवाद अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को अस्वीकार करता है तथा मानवीय विवेक और विज्ञान पर विश्वास करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

मार्क्सवाद

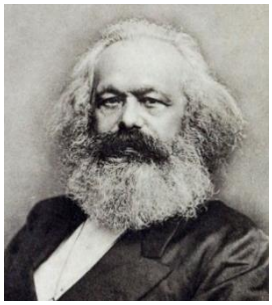

मार्क्सवाद श्रमिक वर्ग का दर्शन है, जिसे कार्ल मार्क्स ने विकसित किया। इसका उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण को समाप्त करना है।

मूल सिद्धांत:

1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद: "भौतिक तत्व" (अर्थव्यवस्था) अंतिम वास्तविकता है। परिवर्तन विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है।

2. ऐतिहासिक भौतिकवाद: इतिहास चरणों की एक श्रृंखला है (सामंतवाद → पूँजीवाद → समाजवाद) जो इस बात से परिभाषित होती है कि संसाधनों का स्वामी कौन है।

3. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत: स्वामी द्वारा लिया गया लाभ वास्तव में श्रमिक से छीना गया "अवैतनिक श्रम" है।

4. वर्ग संघर्ष: समाज दो संघर्षरत वर्गों में विभाजित है: बुर्जुआ वर्ग (स्वामी) बनाम सर्वहारा वर्ग (श्रमिक)।

5. क्रांति: पूँजीवाद में सुधार नहीं किया जा सकता; इसे श्रमिकों की हिंसक क्रांति द्वारा उखाड़ फेंकना होगा।

6. सर्वहारा की तानाशाही: एक अस्थायी अवधि जिसमें श्रमिक पूँजीवाद को नष्ट करने के लिए राज्य को नियंत्रित करते हैं।

गांधीवाद

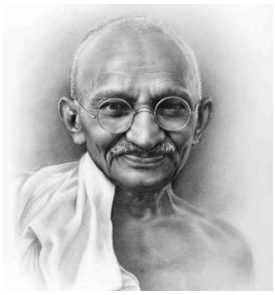

गांधीवाद सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक और राजनीतिक दर्शन है। यह पश्चिमी सभ्यता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है।

पश्चिमी सभ्यता की आलोचना

1. भौतिकवादी प्रकृति: पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुख, धन और औद्योगिक विकास पर बल देती है, जबकि आंतरिक मानवीय और नैतिक विकास की उपेक्षा करती है।

2. आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास: यह आध्यात्मिकता और नैतिकता को कमजोर करती है और जीवन को शारीरिक तथा आर्थिक सफलता तक सीमित कर देती है।

3. केन्द्रीकरण और शोषण: यह केन्द्रीकृत सत्ता और उद्योगों को बढ़ावा देती है जो श्रमिकों का शोषण करते हैं और धन को केंद्रित करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत

1. संपत्ति समाज की होती है:

2. पूँजीपति ट्रस्टी के रूप में:

3. समुदाय के लिए लाभ:

4. श्रम और पूँजी के बीच सामंजस्य:

साध्य और साधन

1. साध्य और साधन अविभाज्य हैं।

2. शुद्ध साधनों से शुद्ध साध्य प्राप्त होते हैं।

3. अहिंसा (Ahimsa), स्वराज से ऊपर है।

4. यह इस विचार को अस्वीकार करता है कि साध्य साधनों को उचित ठहराते हैं।

समाज और सर्वोदय

1. सभी मानव प्राणियों की समानता।

2. जाति, वर्ग, लिंग या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।

3. दलितों और कमजोर वर्गों के प्रति विशेष चिंता।

4. **सर्वोदय** = सभी का कल्याण (भौतिक + नैतिक + आध्यात्मिक)

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. 'उदारवाद' से आप क्या समझते हैं?

उत्तर– उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्ति को व्यवस्था का केंद्र मानता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक सरकार, कानून का शासन तथा सीमित राज्य हस्तक्षेप के साथ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

प्रश्न-2. अतिरिक्त मूल्य' का सिद्धांत क्या है?

उत्तर– अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यह बताता है कि श्रमिक जितना मूल्य उत्पन्न करता है, उसे मजदूरी के रूप में उससे कम प्राप्त होता है। पूँजीपति द्वारा लाभ के रूप में लिया गया अतिरिक्त मूल्य ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यह पूँजीवाद में शोषण का मुख्य स्रोत है।

प्रश्न-3. 'राज्य' के विषय में गांधीजी का क्या विचार था?

उत्तर– गांधीजी ने राज्य को एक "आत्माहीन मशीन" कहा क्योंकि यह हिंसा और बल पर आधारित होता है। उनका विश्वास था कि राज्य व्यक्तित्व को नष्ट करता है। उनका आदर्श समाज रामराज्य था, जो एक राज्यविहीन समाज है, जहाँ लोग स्वयं अनुशासित होते हैं।

प्रश्न-4. मार्क्सवाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा कीजिए।

उत्तर– मार्क्सवाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद:

1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भौतिक और आर्थिक कारकों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करता है।

2. समाज का विकास उत्पादन संबंधों और उत्पादक शक्तियों के बीच अंतर्विरोधों के कारण होता है।

3. ये अंतर्विरोध संघर्ष को जन्म देते हैं, जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन होता है।

4. परिणामस्वरूप उत्पादन की एक नई और उच्चतर पद्धति का उदय होता है, जो सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाती है।

प्रश्न-5. राजनीतिक विचारधाराओं के रूप में उदारवाद और मार्क्सवाद की तुलना कीजिए।

उत्तर– उदारवाद और मार्क्सवाद दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएँ हैं, जो समाज, राज्य, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अलग-अलग व्याख्या प्रस्तुत करती हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

आधार	उदारवाद	मार्क्सवाद
मूल केंद्र	व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आज़ादी पर बल	वर्ग समानता और सामूहिक कल्याण पर बल
आर्थिक व्यवस्था	पूँजीवाद और निजी संपत्ति का समर्थन	पूँजीवाद का विरोध; समाजवाद और साम्यवाद का समर्थन
राज्य के प्रति दृष्टिकोण	सीमित, संवैधानिक राज्य का समर्थन	राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है
सामाजिक परिवर्तन	क्रमिक सुधारों में विश्वास	वर्ग-संघर्ष के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन
वर्ग दृष्टिकोण	पूँजीपति वर्ग की विचारधारा	श्रमिक वर्ग की विचारधारा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3
मौलिक अधिकार

परिचय

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा **दिए गए** वे मूल अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार न्याय सुनिश्चित करते हैं तथा लोकतंत्र में राज्य शक्ति के दुरुपयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं।

मौलिक अधिकारों का अर्थ

1. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा **दिए गए** मूल अधिकार हैं।
2. ये भाग–III **(अनुच्छेद 14–32)** में उल्लिखित हैं।
3. ये अधिकार व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करते हैं।
4. ये नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षण प्रदान करते हैं।
5. मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) हैं।

मौलिक अधिकारों का महत्व

1. मानव गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
2. सरकार को लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करते हैं।
3. समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं।.
4. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं।
5. सरकार की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं।

मौलिक अधिकारों का स्वरूप

1. ये पूर्ण नहीं हैं; युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
2. ये पूर्ण नहीं हैं; युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
3. कुछ अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध हैं।
4. संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा हटा दिया गया।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5. वर्तमान में छह मौलिक अधिकार हैं।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)

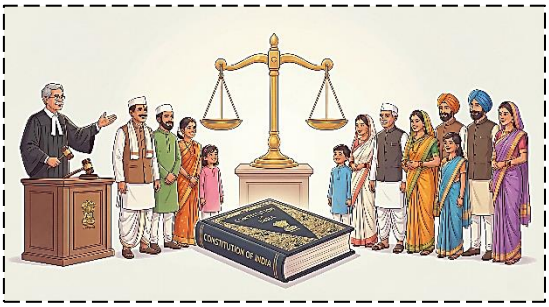

सभी नागरिकों को समान दर्जा और अवसर सुनिश्चित करता है।

(i) विधि के समक्ष समानता

- कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
- सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है।

(ii) भेदभाव का निषेध

- धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।.
- राज्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

(iii) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

- धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
- राज्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

(iv) अस्पृश्यता का उन्मूलन

- अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है।
- इसका आचरण दंडनीय अपराध है।

(v) उपाधियों का उन्मूलन

- सामाजिक असमानता उत्पन्न करने वाली उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं।
- नागरिक और सैन्य सम्मान दिए जा सकते हैं, परंतु उन्हें उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

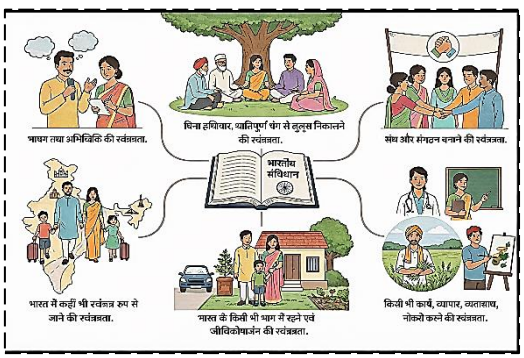

व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

(A) छः मौलिक स्वतंत्रताएँ

1. भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
2. बिना हथियार, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता।
3. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता ।

5. भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता।

6. किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता ।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

(B) अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा

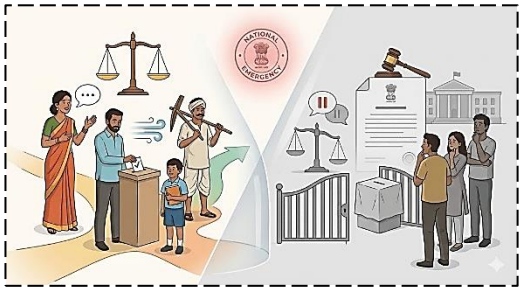

1. विधि के उल्लंघन के बिना दंड नहीं दिया जा सकता।

2. एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं।

3. आत्म - अभिशंसा से संरक्षण।

(C) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

(D) मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण

1. गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी का अधिकार।

2. वकील से परामर्श करने का अधिकार।

3. 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।

4. बंदी निवारक के मामलों में लागू नहीं।

(E) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21–A)

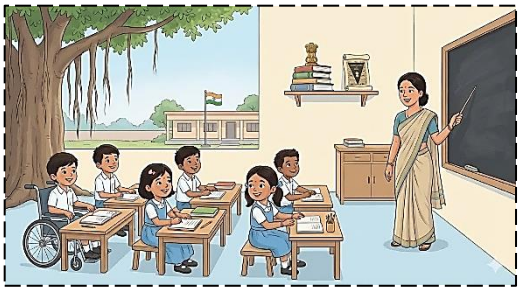

1. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

2. **6 से 14 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

3. राज्य और **माता–पिता** दोनों की जिम्मेदारी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

1. **जबरन श्रम और मानव व्यापार** का निषेध करता है।

2. 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में काम पर लगाना मना है।

3. **राष्ट्रीय आपातकाल** के समय राज्य लोगों से अनिवार्य सेवा ले सकता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

1. हर व्यक्ति को **धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने** की स्वतंत्रता है।

2. धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं।

3. जो संस्थान पूरी तरह सरकार के पैसे से चलते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।

4. लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में इस अधिकार पर रोक लग सकती है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

1. अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की जाती है।

2. अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्थान खोल और चला सकते हैं।

3. सरकार आर्थिक सहायता देते समय भेदभाव नहीं कर सकती।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसे "संविधान की आत्मा" कहा।

आज्ञापत्रों के प्रकार:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण – अवैध रूप से बंद किए गए व्यक्ति को अदालत के सामने लाना

2. परमादेश (मेंडमस) – सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश

3. प्रतिषेध – निचली अदालत को अधिकार से बाहर जाने से रोकना

4. अधिकार पृच्छा – किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किस अधिकार से पद पर है

5. उत्प्रेषण – मामला निचली अदालत से उच्च अदालत में मंगाना

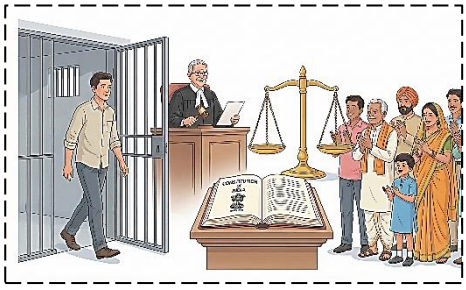

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. मौलिक अधिकारों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर– मौलिक अधिकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक हैं।

1. ये व्यक्ति की **गरिमा, स्वतंत्रता और समानता** की रक्षा करते हैं।

2. ये सभी नागरिकों को **न्याय और समान व्यवहार** सुनिश्चित करते हैं।.

3. ये सरकार की **मनमानी शक्ति पर रोक** लगाते हैं।.

4. ये **अल्पसंख्यकों** के हितों की रक्षा करते हैं।

5. ये अधिकारों की रक्षा के लिए **संवैधानिक उपचार** प्रदान करते हैं।

प्रश्न-2. समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रावधान बताइए।

उत्तर– समानता का अधिकार सभी नागरिकों को समान दर्जा और समान अवसर देता है।

इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. विधि के समक्ष समानता – सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है।

2. भेदभाव का निषेध – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

3. सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता – योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाते हैं।

4. अस्पृश्यता का उन्मूलन – अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसका पालन करना कानूनन अपराध है।

5. उपाधियों का उन्मूलन – समाज में असमानता बढ़ाने वाली उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं।

प्रश्न-3. स्वतंत्रता के अधिकार तथा छह मौलिक स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र में व्यक्ति के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।

छह मौलिक स्वतंत्रताएँ इस प्रकार हैं -

1. भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

2. बिना हथियार, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता।

3. संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता

5. भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता।

6. किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता ।

प्रश्न-4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? विभिन्न आज्ञापत्रों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकें। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इसे "संविधान की आत्मा" कहा है।

आज्ञापत्रों के प्रकार:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण – अवैध रूप से बंद किए गए व्यक्ति को अदालत के सामने लाना

2. परमादेश (मेंडमस) – सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश

3. प्रतिषेध – निचली अदालत को अधिकार से बाहर जाने से रोकना

4. अधिकार पृच्छा – किसी व्यक्ति से पूछना कि वह किस अधिकार से पद पर है

5. उत्प्रेषण – मामला निचली अदालत से उच्च अदालत में मंगाना

ये आज्ञापत्र नागरिकों के अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा करते हैं।

प्रश्न-5. भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्मनिरपेक्षता को कैसे बढ़ावा देता है?

उत्तर - धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना में सहायक है।'

1. यह सभी नागरिकों को **अंतःकरण की स्वतंत्रता** प्रदान करता है।

2. लोगों को किसी भी **धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार** करने की स्वतंत्रता है।'

3. राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और न ही किसी धर्म के साथ भेदभाव करता है।

4. धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं।

5. धर्म की स्वतंत्रता **लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन** होती है।

यह अधिकार धार्मिक सौहार्द बनाए रखता है और भारत में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य

परिचय

भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से संविधान में **राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत** और **मौलिक कर्तव्य** दिए गए हैं। ये दोनों मिलकर राज्य और नागरिकों को **कल्याणकारी समाज** के निर्माण में मार्गदर्शन देते हैं।

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ

1. नीति-निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और निर्देश हैं।
2. ये संविधान के **भाग IV** में दिए गए हैं।
3. ये **न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते**, लेकिन शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।.
4. ये **आयरलैंड के संविधान** से प्रेरित हैं।.
5. इनका उद्देश्य **कल्याणकारी राज्य** और **आर्थिक न्याय** की स्थापना करना है।

इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों को **चार वर्गों** में बाँटा गया है -

(A) आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत

ज्य का दायित्व है कि वह -

1. पुरुषों और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करे।
2. धन का कुछ ही हाथों में जमा होना रोके।
3. समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे।
4. स्वस्थ कार्य-परिस्थितियाँ और रोजगार उपलब्ध कराए।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5. बच्चों को शोषण से बचाए।

6. काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करे।

7. मातृत्व राहत और मानवीय कार्य-परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे।

8. अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों का उत्थान करे।

9. जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे।

10. 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करे।

(B) गांधीवादी सिद्धांत

ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित हैं -

1. ग्राम पंचायतों का संगठन।

2. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

3. नशीले पेय और मादक दवाओं पर प्रतिबंध।

4. पशुओं की रक्षा और गो-वध पर प्रतिबंध।

(C) अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित सिद्धांत

राज्य का दायित्व है कि वह -

1. तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे।

2. अन्य देशों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखे।

3. अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करे।

4. विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्रोत्साहित करे।

(D) विविध सिद्धांत

राज्य का दायित्व है कि वह -

1. **समान नागरिक संहिता** लागू करे।

2. ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करे।

3. पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करे।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. गरीबों को **निःशुल्क कानूनी सहायता** प्रदान करे।

नीति-निर्देशक सिद्धांत और सामाजिक समस्याएँ

(A) शिक्षा की सार्वभौमिकता

1. शिक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है।

2. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और **ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू** किए गए।

3. शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21-A) 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

4. 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।**

(B) बाल मजदूरी

1. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना प्रतिबंधित है।

2. गरीबी और सामाजिक सोच इसके मुख्य कारण हैं।

3. विकसित भारत के लिए **बाल मजदूरी का उन्मूलन आवश्यक** है।

(C) महिलाओं की स्थिति

1. भारतीय समाज पुरुष-प्रधान रहा है।

2. संविधान समान वेतन, जीविका और मातृत्व राहत प्रदान करता है।

3. दहेज, सती, बाल विवाह और भ्रूण हत्या के विरुद्ध कानून बनाए गए।

4. 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया।

नीति-निर्देशक सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या

1. आलोचक इन्हें "पवित्र घोषणाएँ" कहते हैं।

2. ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते और सरकार की इच्छा पर निर्भर हैं।

3. फिर भी ये नीति-निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं।

4. कई सिद्धांत सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं, जैसे-

- भूमि सुधार
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- समान वेतन
- पंचायती राज व्यवस्था

इस प्रकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक हैं।

मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अंतर

मौलिक अधिकार	नीति-निर्देशक सिद्धांत
न्यायालय में लागू	न्यायालय में लागू नहीं
नकारात्मक स्वरूप	सकारात्मक स्वरूप
राजनीतिक लोकतंत्र	सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र
न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय	नैतिक दायित्व

मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध

1. दोनों **पूरक और सहायक** हैं।.

2. मौलिक अधिकार **राजनीतिक लोकतंत्र** सुनिश्चित करते हैं।

3. नीति-निर्देशक सिद्धांत **सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र** सुनिश्चित करते हैं।

4. दोनों मिलकर संविधान का **मूल आधार** बनाते हैं।

मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51-A)

1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए।

2. पहले 10 कर्तव्य थे, बाद में 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया।

प्रमुख मौलिक कर्तव्य -

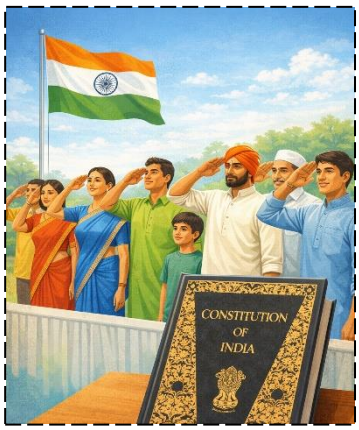

1. संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

2. भारत की एकता और अखंडता बनाए रखना।

3. पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना।

4. सद्भाव और महिलाओं की गरिमा को बढ़ावा देना।

5. 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना।

मौलिक कर्तव्यों का स्वरूप

1. न्यायालय में लागू नहीं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं।

3. जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक हैं।

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न -1. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - नीति-निर्देशक सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहायक हैं।

प्रश्न -2. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण बताइए।

उत्तर - नीति-निर्देशक सिद्धांत चार वर्गों में विभाजित हैं-

(i) आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत

(ii) गांधीवादी सिद्धांत

(iii) अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित सिद्धांत

(iv) विविध सिद्धांत

ये सभी वर्ग राज्य को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन देते हैं।

प्रश्न -3. शिक्षा, बाल कल्याण और महिलाओं की स्थिति सुधारने में नीति-निर्देशक सिद्धांतों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर - नीति-निर्देशक सिद्धांत सार्वभौमिक शिक्षा, बाल मजदूरी के उन्मूलन और महिलाओं की स्थिति सुधारने पर बल देते हैं। शिक्षा का अधिकार, बाल मजदूरी विरोधी कानून और महिलाओं के लिए आरक्षण इनके क्रियान्वयन को दर्शाते हैं।

प्रश्न -4. मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए।

उत्तर - मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति-निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में लागू नहीं होते और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

प्रश्न -5. मौलिक कर्तव्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - मौलिक कर्तव्य अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और संविधान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हैं। ये न्यायालय में लागू नहीं होते, फिर भी जिम्मेदार नागरिक बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5

भारतीय संघीय व्यवस्था

परिचय

भारतीय संविधान ने विविधता का सम्मान करते हुए एकता बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया है। इसके अंतर्गत शासन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था भी की गई है।

संघवाद का अर्थ

- घवाद का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।
- सरकार के दोनों स्तर अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
- **यह व्यवस्था विविधता में एकता और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है।**

भारतीय संघवाद की विशेषताएँ

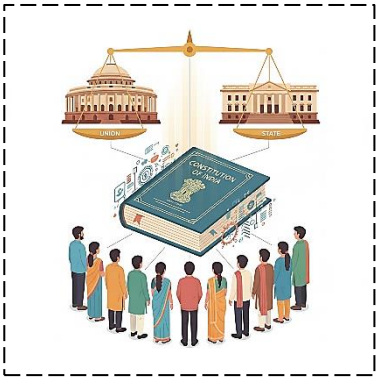

(i) लिखित संविधान

- भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है।
- इसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं।
- संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है।

(ii) कठोर संविधान

- संविधान के कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक होता है।
- कुछ संशोधनों के लिए **कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति** भी जरूरी होती है।
- इसलिए भारतीय संविधान को **कठोर प्रकृति का** कहा जाता है।

(iii) शक्तियों का विभाजन

- **शक्तियों को तीन सूचियों में बाँटा गया है -**

1. **संघ सूची (97 विषय) –** रक्षा, रेलवे, डाक और तार
2. **राज्य सूची (66 विषय) –** पुलिस, जन स्वास्थ्य, व्यापार
3. **समवर्ती सूची (47 विषय))** – बिजली, श्रमिक संघ

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- यदि किसी विषय पर टकराव हो, तो संघ का कानून मान्य होता है।

(iv) न्यायपालिका की सर्वोच्चता

- एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है।
- यह असंवैधानिक कानूनों को **अमान्य घोषित** कर सकता है।

भारतीय संघ की प्रकृति

1. अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है।

2. राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

3. भारत में **एक संविधान, एक नागरिकता और एक न्यायपालिका** है।

4. राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति **केंद्र द्वारा** की जाती है।

5. राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व **समान नहीं** है।

इस प्रकार भारत रूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक है। इसी कारण इसे अर्ध-संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है।

केंद्र–राज्य संबंध

(A) विधायी संबंध

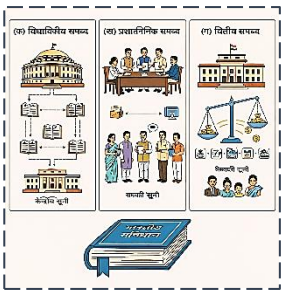

- संसद **केन्द्रीय सूची** पर कानून बनाती है।
- राज्य **राज्य सूची** पर कानून बनाते हैं।
- **समवर्ती सूची** पर दोनों कानून बना सकते हैं।
- आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के समय संसद **राज्य विषयों पर भी कानून** बना सकती है।

(B) प्रशासनिक संबंध

- राज्यों को संघ के कानूनों का **पालन करना होता है**।
- केंद्र राज्यों को **निर्देश** दे सकता है।
- **अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS)** केंद्र के अधीन होती हैं।
- केंद्र राज्यों में **केंद्रीय बल** तैनात कर सकता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(C) वित्तीय संबंध

- केंद्र और राज्यों के **राजस्व स्रोत अलग-अलग** होते हैं।
- प्रमुख कर **केंद्र के नियंत्रण** में होते हैं।
- केंद्र राज्यों को **अनुदान** प्रदान करता है।
- वित्तीय आपातकाल में केंद्र **राज्यों की वित्तीय व्यवस्था नियंत्रित** करता है।
- वित्तीय रूप से राज्य केंद्र पर **अधिक निर्भर** होते हैं।

अधिक स्वायत्तता की माँग

1. मजबूत केंद्र के कारण राज्य **अधिक स्वायत्तता** की माँग करते हैं।

2. केंद्र–राज्य संबंधों में सुधार के लिए **सरकारिया आयोग** का गठन किया गया।

3. आयोग ने निम्न सिफारिशें कीं -

- सहकारी संघवाद
- स्थायी अंतर-राज्य परिषद
- राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन
- केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर परामर्श

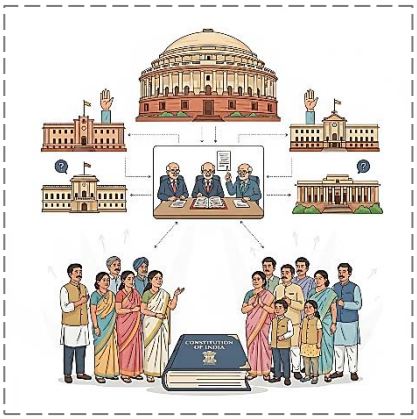

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

Answer- भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. लिखित और कठोर संविधान
2. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. स्वतंत्र न्यायपालिका

ये सभी विशेषताएँ **विविधता में एकता बनाए रखते हुए समन्वय** सुनिश्चित करती हैं।

प्रश्न-2. भारत को "रूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक" क्यों कहा जाता है?

उत्तर- भारत में शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी **संघीय विशेषताएँ** मौजूद हैं। लेकिन साथ ही इसमें **मजबूत केंद्र, एक नागरिकता, एक संविधान और आपातकालीन शक्तियाँ** जैसी **एकात्मक विशेषताएँ** भी हैं। इसलिए भारत को **रूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक** कहा जाता है।

प्रश्न-3. केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- विधायी शक्तियाँ **केन्द्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची** में बाँटी गई हैं। संसद **संघ सूची** पर कानून बनाती है, राज्य **राज्य सूची** पर कानून बनाते हैं और **समवर्ती सूची** पर दोनों कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर टकराव हो, तो **संघ का कानून लागू होता है**। आपातकाल के समय संसद **राज्य विषयों पर भी कानून** बना सकती है।

प्रश्न-4. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- केंद्र और राज्यों के **आय के स्रोत अलग-अलग** होते हैं, लेकिन **मुख्य करों पर केंद्र का नियंत्रण** होता है। राज्य **अनुदान के लिए केंद्र पर निर्भर** रहते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र **राज्य की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित** करता है, जिससे केंद्र की स्थिति अधिक मजबूत हो जाती है।

प्रश्न-5. सरकारिया आयोग क्या है? इसकी सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर- सरकारिया आयोग की नियुक्ति **केंद्र–राज्य संबंधों में सुधार** के लिए की गई थी।इस आयोग ने सहकारी संघवाद, अंतर-राज्य परिषद की स्थापना, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, आपसी परामर्श द्वारा विवादों का समाधान की सिफारिशें कीं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

6

आपातकालीन प्रावधान

परिचय

भारतीय संविधान में देश की **सुरक्षा, एकता और स्थिरता** की रक्षा के लिए विशेष **आपातकालीन प्रावधान** किए गए हैं। असाधारण परिस्थितियों में ये प्रावधान **केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ** प्रदान करते हैं, ताकि शासन प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

आपातकालीन प्रावधानों का अर्थ

1. आपातकालीन प्रावधान **असामान्य या विशेष परिस्थितियों** से संबंधित होते हैं।

2. ये राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को **विशेष शक्तियाँ** प्रदान करते हैं।

3. आपातकाल के समय **संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप** धारण कर लेती है।

4. इनका उद्देश्य **राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक व्यवस्था** की रक्षा करना है।

भारत में आपातकाल के प्रकार

भारतीय संविधान में **तीन प्रकार के आपातकाल** का प्रावधान है:

1. राष्ट्रीय आपातकाल – Article 352

2. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) -अनुच्छेद 356

3. वित्तीय संकट - अनुच्छेद 360

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत की सुरक्षा को खतरा हो

- युद्ध
- बाहरी आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

44वें संविधान संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति **केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह** पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(B) संसदीय स्वीकृति

- घोषणा के **एक माह के भीतर** संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है।
- इसके लिए **संपूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत** चाहिए।
- एक बार स्वीकृत होने पर यह **छः माह** तक लागू रहता है और बढ़ाया जा सकता है।

(C) राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

- संघीय व्यवस्था **एकात्मक व्यवस्था** में बदल जाती है।
- संसद **राज्य सूची के विषयों** पर भी कानून बना सकती है।
- राष्ट्रपति राज्यों को **निर्देश** दे सकता है।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि **बढ़ाई जा सकती है**।
- **अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं।**
- वित्तीय वितरण पर **केंद्र सरकार का नियंत्रण** बढ़ जाता है।

(D) भारत में राष्ट्रीय आपातकाल

- **1962 -** चीन का आक्रमण
- **1971 -** भारत-पाकिस्तान युद्ध
- **1975 -** आंतरिक गड़बड़ी

राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356)

(A) अर्थ

- जब किसी राज्य का शासन **संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सके**, तब यह आपातकाल लगाया जाता है।
- इसे सामान्यतः **राष्ट्रपति शासन** कहा जाता है।
- यह **राज्यपाल की रिपोर्ट** के आधार पर घोषित किया जाता है।

(B) अवधि

- संसद की स्वीकृति **दो माह के भीतर** आवश्यक होती है।
- एक बार में **छः माह** के लिए लागू रहता है।
- शर्तों के साथ इसे **एक वर्ष तक बढ़ाया** जा सकता है।

(C) राष्ट्रपति शासन के प्रभाव

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. राष्ट्रपति **राज्य सरकार की शक्तियाँ** अपने हाथ में ले लेता है।

2. राज्य विधानसभा भंग या स्थगित की जा सकती है।

3. राज्य के लिए कानून **संसद द्वारा बनाए जाते हैं**।

4. इसका कई बार **राजनीतिक दुरुपयोग** होने के कारण आलोचना हुई है।

- **सरकारिया आयोग ने इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की।**
- **बोम्मई वाद** में कहा गया कि संसदीय स्वीकृति से पहले विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए।

वित्तीय संकट (अनुच्छेद 360)

(A) अर्थ

- जब भारत की **वित्तीय स्थिरता या साख** को खतरा हो, तब वित्तीय संकट घोषित किया जाता है।
- इसे संसद की **दो माह के भीतर स्वीकृति** आवश्यक होती है।
- यह स्थिति रहने तक लागू रहता है।

(B) वित्तीय संकट के प्रभाव

1. केंद्र सरकार राज्यों को **वित्तीय मामलों में निर्देश** दे सकती है।

2. सरकारी कर्मचारियों तथा न्यायाधीशों के **वेतन और भत्तों में कटौती** की जा सकती है।

3. राज्यों के **धन विधेयक** संसद के विचार हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

- भारत में अब तक **वित्तीय संकट कभी लागू नहीं किया गया है।**

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. आपातकालीन प्रावधान क्या हैं? ये क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर- आपातकालीन प्रावधान संविधान द्वारा किए गए विशेष उपाय हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरा होने पर लागू किए जाते हैं। ये संकट के समय सरकार के प्रभावी संचालन तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।

प्रश्न-2. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और उसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जाता है। इससे संघीय व्यवस्था एकात्मक बन जाती है, अनुच्छेद 19 के अधिकार स्थगित हो जाते हैं, केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और संसद राज्य विषयों पर कानून बना सकती है।

प्रश्न-3. किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?

उत्तर- जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर घोषित किया जाता है।

प्रश्न-4. अनुच्छेद 356 की आलोचना क्यों की गई है?

उत्तर- अनुच्छेद 356 का कई बार **राजनीतिक उद्देश्यों से दुरुपयोग** किया गया। अनेक राज्यों में वास्तविक संवैधानिक विफलता के बिना सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। इसलिए इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की गई है।

प्रश्न-5. वित्तीय संकट की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रभाव बताइए।

उत्तर- वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत तब घोषित किया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित कर सकती है, वेतन में कटौती कर सकती है और राज्य के धन विधेयकों की निगरानी कर सकती है। भारत में अब तक यह लागू नहीं हुआ है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

7
भारत में चुनाव प्रक्रिया

परिचय

चुनाव लोकतंत्र की **आधारशिला** होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत में **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** पर आधारित लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, जिससे सरकार के विभिन्न स्तरों पर **स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव** सुनिश्चित किए जा सकें।.

निर्वाचन प्रणाली का अर्थ

1. निर्वाचन प्रणाली वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा **प्रतिनिधियों का चुनाव** किया जाता है।

2. इसमें चुनाव से संबंधित **नियम, प्रक्रियाएँ और व्यवस्था** शामिल होती हैं।

3. भारत में चुनाव **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर होते हैं।

4. **18 वर्ष या उससे अधिक आयु** के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के **मतदान का अधिकार** है।

भारत का निर्वाचन आयोग

(A) संरचना

1. यह एक **संवैधानिक संस्था** है।

2. इसमें शामिल होते हैं -

- **मुख्य चुनाव आयुक्त**
- अन्य चुनाव आयुक्त

3. इनकी नियुक्ति **भारत के राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।

4. वर्ष 1989 से यह एक **बहु-सदस्यीय संस्था** है।

(B) कार्यकाल और पद से हटाया जाना

1. कार्यकाल — **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जो पहले हो।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. मुख्य चुनाव आयुक्त को **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश** की तरह ही हटाया जा सकता है।

3. अन्य चुनाव आयुक्तों को **मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश** पर हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना
- निर्वाचन क्षेत्रों का **परिसीमन**
- **मतदाता सूचियों** का निर्माण और संशोधन
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय **राजनीतिक दलों को मान्यता** देना
- चुनाव चिन्हों का आवंटन
- चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति
- **आदर्श आचार संहिता** लागू कराना

मतदाता सूची

1. मतदाता सूची किसी निर्वाचन क्षेत्र के **मतदाताओं की सूची** होती है।

2. इसका निर्माण और संशोधन **निर्वाचन आयोग** द्वारा किया जाता है।

3. मतदाता होने के लिए व्यक्ति-

- भारत का नागरिक हो
- उसकी आयु 18 वर्ष हो
- वह उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो

भारत में चुनाव प्रक्रिया

मुख्य चरण -

1. चुनाव की अधिसूचना जारी करना

2. नामांकन पत्र दाखिल करना

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3. जमानत राशि जमा करना

4. नामांकन पत्रों की जाँच

5. नाम वापस लेना

6. चुनाव प्रचार

7. मतदान

8. मतगणना

9. परिणाम की घोषणा

चुनाव प्रचार

1. उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में **प्रभावित करने का प्रयास** करते हैं।

2. मतदान से **48 घंटे पहले** प्रचार बंद हो जाता है।

3. मान्यता प्राप्त दलों को **आकाशवाणी और दूरदर्शन** पर प्रचार की सुविधा मिलती है।

4. प्रचार के दौरान **आदर्श आचार संहिता** का पालन अनिवार्य है।

मतदान और मतगणना

- मतदान **गुप्त मतदान प्रणाली** द्वारा किया जाता है।
- मतदान केंद्रों पर **पीठासीन अधिकारी** के नियंत्रण में मतदान होता है।
- मतगणना रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में होती है।
- सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार **निर्वाचित घोषित** किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई-वी-एम)

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती हैं।
- एक ई-वी-एम में **अधिकतम 16 उम्मीदवारों** के नाम हो सकते हैं।
- **धांधली, बूथ कैप्चरिंग और गिनती की गलतियों** को कम करती हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- मतगणना को **तेज़ और भरोसेमंद** बनाती हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली की कमियाँ

- **धन-बल**
- **बाहुबल और राजनीति का अपराधीकरण**
- जाति और धर्म की भूमिका
- **सरकारी तंत्र का दुरुपयोग**
- हिंसा और फर्जी मतदान से जनता का विश्वास कम होता है

चुनाव सुधार

- मतदान की आयु **21 से घटाकर 18 वर्ष** की गई।
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र** की शुरुआत।
- **ई-वी-एम** का प्रयोग।
- गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए **जमानत राशि बढ़ाई गई**।
- चुनाव खर्च पर **कड़ी निगरानी**।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. भारत के निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है?

उत्तर- भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। यह मतदाता सूचियों का निर्माण करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है तथा आदर्श आचार संहिता को लागू कराता है।

प्रश्न-2. भारत में चुनाव प्रक्रिया के मुख्य चरणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- चुनाव प्रक्रिया में चुनाव की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करना और उनकी जाँच, नाम वापस लेना, चुनाव प्रचार, मतदान, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा शामिल होती है। प्रत्येक चरण की देखरेख निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है।

प्रश्न-3. भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य कमियाँ क्या हैं?

उत्तर- भारतीय चुनाव प्रणाली की प्रमुख कमियों में धन-बल और बाहुबल का प्रयोग, राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, राजनीति का अपराधीकरण तथा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग शामिल हैं, जिससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होती है।

प्रश्न -4. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का महत्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें धांधली और फर्जी मतदान को कम करती हैं, मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं, मतगणना की प्रक्रिया को तेज़ बनाती हैं तथा पारदर्शिता बढ़ाती हैं। इन्होंने भारत में चुनावों की विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

प्रश्न -5. भारत में कौन-कौन से चुनाव सुधार किए गए हैं?

उत्तर- भारत में किए गए प्रमुख चुनाव सुधारों में मतदान की आयु 18 वर्ष करना, मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत, ई-वी-एम का प्रयोग, जमानत राशि में वृद्धि तथा चुनाव खर्च पर कड़ा नियंत्रण शामिल हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

8

राष्ट्रीय राजनीतिक दल

परिचय

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, राजनीतिक भागीदारी में सहायता करते हैं और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत दल प्रणाली का होना आवश्यक है।

राजनीतिक दल का अर्थ

1. राजनीतिक दल लोगों का एक **संगठित समूह** होता है।

2. इसके सदस्य **समान सिद्धांत, विचारधारा और लक्ष्य** साझा करते हैं।

3. राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य **राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना** होता है।

4. राजनीतिक दल **चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं**।

राजनीतिक दलों की भूमिका और महत्व

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है-

1. नागरिकों और सरकार के बीच **संपर्क स्थापित करते हैं**।

2. **सरकार के गठन** में सहायता करते हैं।

3. **वैकल्पिक नीतियाँ और कार्यक्रम** प्रस्तुत करते हैं।

4. नागरिकों को **राजनीतिक रूप से जागरूक** करते हैं।

5. सरकार की नीतियों की **आलोचना कर निगरानीकर्ता** की भूमिका निभाते हैं।

6. **जनमत और सामाजिक हितों** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजनीतिक दल की आवश्यक विशेषताएँ

एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए -

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. औपचारिक सदस्यता वाला **संगठित ढाँचा**।
2. **स्पष्ट नीतियाँ और कार्यक्रम**।
3. सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई **सामान्य विचारधारा**।
4. **लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य**।
5. **स्पष्ट और स्वीकृत नेतृत्व**।
6. प्रमुख राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर **ध्यान केंद्रित करना**।

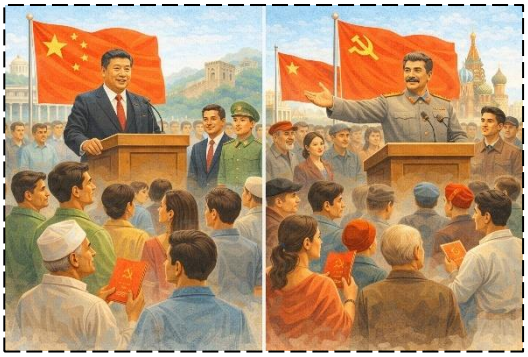

दल प्रणाली के प्रकार

विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की दल प्रणालियाँ पाई जाती हैं -

(A) एक-दलीय व्यवस्था

- केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व या प्रभुत्व होता है।
- उदाहरण— **चीन, पूर्व सोवियत संघ**।

(B) द्वि-दलीय व्यवस्था

- राजनीति में दो प्रमुख दलों का प्रभुत्व होता है।
- उदाहरण -**अमेरिका (रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक), ब्रिटेन (कंज़र्वेटिव और लेबर)**।

(C) बहु-दलीय व्यवस्था

- कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- उदाहरण - **भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान**।

भारत में **बहु-दलीय व्यवस्था** अपनाई गई है।

भारत में बहु-दलीय व्यवस्था अपनाई गई है।

(A) (A) एक-दलीय प्रभुत्व (1952–1967)

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र और राज्यों में प्रभुत्व रहा।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- केवल अपवाद— **केरल (1956–59)**।

(B बहु-दलीय व्यवस्था का उदय (1967–1975)

- 1967 के चुनावों में कांग्रेस कई राज्यों में पराजित हुई।
- **संयुक्त सरकारों** का गठन हुआ।
- कांग्रेस का विभाजन **कांग्रेस (O) और कांग्रेस (N)** में हुआ।

(C) आपातकाल का काल (1975–1977)

- इसे भारतीय लोकतंत्र का **सत्तावादी चरण** कहा जाता है।
- राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर **प्रतिबंध** लगाया गया।

(D) गठबंधन राजनीति (1977 के बाद)

- 1977 में कांग्रेस को **जनता पार्टी** ने पराजित किया।
- 1989 के बाद कोई भी दल अकेले सरकार नहीं बना सका।
- **एन.डी.ए. और यू.पी.ए.** जैसी गठबंधन सरकारें बनीं।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल

(A) राष्ट्रीय दल

1. पूरे देश में प्रभाव रखते हैं।

2. **निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त** होते हैं।

3. कम से कम **चार राज्यों में 4% वैध मत** प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है।

4. प्रमुख राष्ट्रीय दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस**,** भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी।

(B) क्षेत्रीय दल

1. मुख्यतः **विशेष राज्यों या क्षेत्रों** में कार्य करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. क्षेत्रीय हितों और समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उदाहरण: डी.एम.के. और ए.आई.ए.डी.एम.के. (तमिलनाडु), अकाली दल (पंजाब), नेशनल कॉन्फ्रेंस (जम्मू-कश्मीर), शिवसेना (महाराष्ट्र)

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल

(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

1. स्थापना— **1885**, प्रथम अध्यक्ष— **डब्ल्यू.सी. बनर्जी**।
2. महात्मा गांधी के नेतृत्व में **जन-आधारित दल** बनी।
3. स्वतंत्रता संग्राम में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई।
4. स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में राजनीति पर प्रभुत्व।
5. नेहरू युग तथा बाद के कई कालखंडों में शासन किया।

(B) भारतीय जनता पार्टी (BJP)

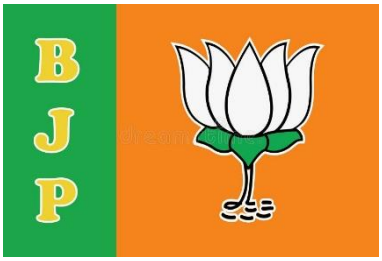

1. स्थापना - **1980**।
2. गुजरात और महाराष्ट्र में मजबूत आधार।
3. 1989 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि।
4. **राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)** सरकार का नेतृत्व किया।

(C) साम्यवादी दल (CPI और CPI-M)

1. साम्यवादी आंदोलन 1920 के दशक में प्रारंभ; CPI की स्थापना **1925** में।
2. आर्थिक समानता और **वर्गहीन समाज** में विश्वास।
3. 1957 में केरल में पहली साम्यवादी सरकार बनी।
4. 1964 में विभाजन होकर **CPI(M)** का गठन हुआ।
5. केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मजबूत आधार।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(D) बहुजन समाज पार्टी (BSP)

1. **1996 में राष्ट्रीय दल** बनी।

2. पिछड़ी जातियों, वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।

3. उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रभाव।

4. बहुजन समाज को **सामाजिक शोषण से मुक्त करना** लक्ष्य।

भारत में राष्ट्रीय दलों का महत्व

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था को **मजबूत बनाते हैं**।

2. **स्थिर नेतृत्व** प्रदान करते हैं।

3. केंद्र में **सरकार का गठन** करते हैं।

4. **राष्ट्रीय हितों** का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. विभिन्न सामाजिक वर्गों की **राजनीतिक भागीदारी** सुनिश्चित करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. राजनीतिक दल क्या है? इसकी आवश्यक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर- राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है, जो समान विचारधारा और लक्ष्यों को साझा करता है तथा लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इसकी विशेषताओं में संगठित ढाँचा, स्पष्ट नीतियाँ, सामान्य विचारधारा, नेतृत्व और राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान शामिल है।

प्रश्न-2. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- राजनीतिक दल नागरिकों और सरकार के बीच संबंध स्थापित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, मतदाताओं को जागरूक करते हैं, वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करते हैं और सरकार की आलोचना कर निगरानी करते हैं।

प्रश्न-3. भारत में दल प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भारत में प्रारंभ में कांग्रेस के अंतर्गत एक-दलीय प्रभुत्व (1952–1967) रहा। इसके बाद बहु-दलीय व्यवस्था का उदय हुआ, फिर आपातकाल (1975–77) आया और 1989 के बाद से गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ।

प्रश्न-4. राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- राष्ट्रीय दलों का प्रभाव पूरे देश में होता है और वे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल मुख्यतः कुछ राज्यों या क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं।

प्रश्न-5. भारत के किन्हीं दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व रखा। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में उभरी और केंद्र में गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

9

क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल

परिचय

क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। जहाँ क्षेत्रवाद लोगों के अपने क्षेत्र के प्रति लगाव को दर्शाता है, वहीं क्षेत्रीय दल राजनीति में क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ने भारत में राज्य और राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है।

क्षेत्रवाद का अर्थ

1. क्षेत्रवाद का अर्थ है **पूरे राष्ट्र की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के प्रति अधिक लगाव**।

2. इसके दो अर्थ होते हैं :

- **सकारात्मक अर्थ:** अपने क्षेत्र, संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम।
- **नकारात्मक अर्थ:** अत्यधिक क्षेत्रीय निष्ठा, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन जाए।

3. भारत में क्षेत्रवाद शब्द का प्रयोग **अधिकतर नकारात्मक अर्थ में** किया जाता है।

क्षेत्रवाद के कारण

क्षेत्रवाद के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :

1. केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा **कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा।**

2. पिछड़े या उपेक्षित क्षेत्रों में **राजनीतिक जागरूकता का बढ़ना।**

3. सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताएँ।

4. आर्थिक असमानता और असंतुलित विकास।

5. सत्ता प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा देने वाले **स्थानीय राजनीतिक नेता।**

भारत में क्षेत्रवाद के रूप

भारत में क्षेत्रवाद विभिन्न रूपों में दिखाई देता है:

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(A) राज्य स्वायत्तता की माँग

1. राज्य केंद्र से **अधिक स्वायत्तता** की माँग करते हैं।

2. इसका कारण केंद्र का **अत्यधिक हस्तक्षेप** होता है।

3. राज्यों के भीतर उप-क्षेत्रों द्वारा भी यह माँग देखी जाती है।

(B) संघ से अलग होने की माँग

1. क्षेत्रवाद का **सबसे खतरनाक रूप**।

2. अलग राष्ट्र या राज्य की माँग।

3. भारत की **एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा**।

(C) अंतर-राज्यीय विवाद

1. **नदी जल विवाद**।

2. भाषा और नौकरी में आरक्षण से जुड़े मुद्दे।

3. पिछड़े राज्यों से विकसित राज्यों की ओर **प्रवास**।

भारत में क्षेत्रवाद का विकास

1. क्षेत्रवाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी मौजूद था, जिसे **राष्ट्रवाद को कमजोर करने** के लिए बढ़ावा दिया गया।

2. स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए

- एक नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका
- मजबूत केंद्र सरकार

3. इसके बावजूद क्षेत्रवाद बढ़ा, क्योंकि-

- राज्यों का **भाषाई पुनर्गठन** हुआ।
- तमिलनाडु में **डी.एम.के.** जैसे क्षेत्रीय दल उभरे।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- 1947–1967 के दौरान कांग्रेस और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका रही।

क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण

क्षेत्रवाद के बढ़ने के प्रमुख कारण हैं-

1. केंद्र द्वारा भाषा या संस्कृति **थोपने का प्रयास**।
2. पिछड़े क्षेत्रों की **लगातार उपेक्षा**।
3. अधिक स्वायत्तता और **स्वशासन की माँग**।
4. क्षेत्रीय अभिजात वर्ग की **राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की इच्छा**।
5. आधुनिकीकरण और **जनभागीदारी का प्रभाव**।
6. भेदभाव और असमानता के प्रति लोगों में **जागरूकता**।

क्षेत्रीय दलों का अर्थ

- क्षेत्रीय दल **सीमित भौगोलिक क्षेत्र** में कार्य करते हैं।
- ये **क्षेत्रीय मुद्दों और हितों** पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इनका उद्देश्य **राज्य स्तर पर सरकार बनाना** होता है, केंद्र पर नहीं।
- भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या **राष्ट्रीय दलों से अधिक** है।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है-

- अनेक राज्यों में **सरकारों का गठन** किया (जैसे -तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम)।
- केंद्र में **गठबंधन राजनीति** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- संसद में **क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया**।
- दूरदराज़ और पिछड़े क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई।
- राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय मुद्दों पर **गंभीरता से ध्यान देने के लिए बाध्य किया**।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

इस प्रकार क्षेत्रीय दलों ने **क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति दोनों को प्रभावित** किया है।

क्षेत्रवाद को कम करने के उपाय

हानिकारक क्षेत्रवाद को कम करने के लिए:

- **संतुलित क्षेत्रीय विकास** को बढ़ावा देना।
- केंद्र द्वारा **अनावश्यक हस्तक्षेप कम करना**।
- क्षेत्रीय समस्याओं का **शांतिपूर्ण और संवैधानिक समाधान**।
- **सहकारी संघवाद** को मजबूत करना।
- केंद्र–राज्य संबंधों में सुधार।
- **राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय एकता** को बढ़ावा देना।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. क्षेत्रवाद क्या है? इसे खतरनाक क्यों माना जाता है?

उत्तर - क्षेत्रवाद का अर्थ है राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र के प्रति अधिक लगाव। यह तब खतरनाक हो जाता है जब यह अलगाव को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और देश की अखंडता के लिए खतरा बनता है।

प्रश्न-2. भारत में क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए।

उत्तर - भारत में क्षेत्रवाद राज्य स्वायत्तता की माँग, संघ से अलग होने की प्रवृत्ति, राज्यों के बीच जल और भाषा विवाद तथा अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के प्रति विरोध जैसे रूपों में दिखाई देता है।

प्रश्न-3. भारत में क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - क्षेत्रवाद असमान विकास, पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा, सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताओं, क्षेत्रीय नेताओं की सत्ता की चाह और जनता में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता के कारण बढ़ा है।

प्रश्न-4. क्षेत्रीय दल क्या हैं? भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - क्षेत्रीय दल सीमित क्षेत्रों में कार्य करते हैं और क्षेत्रीय हितों पर ध्यान देते हैं। इन्होंने राज्य सरकारें बनाई हैं, केंद्र की गठबंधन राजनीति को प्रभावित किया है, क्षेत्रीय मुद्दे उठाए हैं और लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई है।

प्रश्न-5. क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर - क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित क्षेत्रीय विकास, केंद्र–राज्य संबंधों में सुधार, अनावश्यक केंद्रीय हस्तक्षेप से बचाव, संवैधानिक समाधान और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर कम किया जा सकता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

10

जनमत तथा दबाव समूह

परिचय

जनमत और दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, शासकों को सतर्क रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शासन जनता के विचारों और हितों के अनुसार चले। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती।

जनमत का अर्थ

1. जनमत का अर्थ है **सार्वजनिक मुद्दों पर समाज के एक वर्ग के सुविचारित और संगठित विचार**।

2. कोई एक ही जनमत नहीं होता; **विभिन्न समूहों के अलग-अलग विचार** होते हैं।

3. यह न तो सभी लोगों का मत होता है और न ही केवल विशेषज्ञों या किसी एक व्यक्ति का।

4. जनमत **विचारों की विविधता** को दर्शाता है।

5. यह **गतिशील** होता है और समय, परिस्थिति तथा जानकारी के अनुसार बदलता रहता है।

जनमत की विशेषताएँ

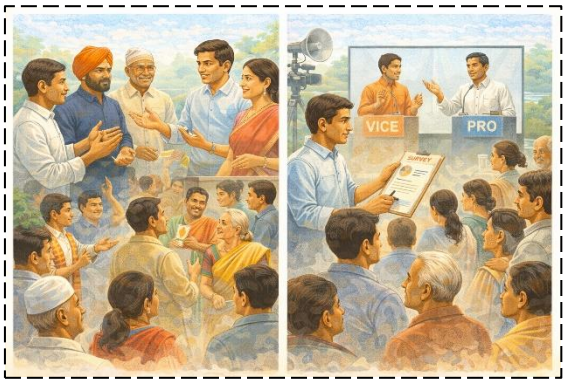

1. यह सर्वसम्मत नहीं होता, बल्कि **सामान्य सहमति** को दर्शाता है।

2. यह भावनात्मक नहीं, बल्कि **तार्किक और विचारपूर्ण** होता है।

3. इसमें **विचारों की बहुलता और विविधता** दिखाई देती है।

4. यह किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं होता।

5. यह जनता और सरकार के बीच **लोकतांत्रिक संवाद** सुनिश्चित करता है।

जनमत का महत्व और भूमिका

लोकतंत्र में जनमत का विशेष महत्व है-

1. सरकार का पथ-प्रदर्शक: नीति-निर्माण और निर्णय लेने में सहायता करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. कानून निर्माण में सहायक: जनता की आवश्यकताओं और विचारों के अनुसार कानून बनाए जाते हैं।

3. प्रहरी के रूप में कार्य: सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखता है।

4. अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा: नागरिकों को सरकार की आलोचना या समर्थन की स्वतंत्रता देता है।

5. अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव: सरकारें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जनमत के प्रति सजग रहती हैं।

जनमत का निर्माण

जनमत औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाओं से बनता है।

जनमत के निर्माण में सहायक प्रमुख एजेंसियाँ:

- **राजनीतिक समाजीकरण** (परिवार, मित्र-समूह, समाज)
- **प्रेस (मुद्रित माध्यम) –** समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ
- **रेडियो और टेलीविजन –** दृश्य-श्रव्य माध्यम
- **सिनेमा –** फिल्में और वृत्तचित्र
- **सार्वजनिक सभाएँ –** रैलियाँ, सेमिनार, सम्मेलन
- **राजनीतिक दल –** घोषणापत्र, चुनाव प्रचार
- **जनमत सर्वेक्षण –** जनता के विचारों का सर्वे
- **शैक्षिक संस्थान –** स्कूल, कॉलेज, वाद-विवाद

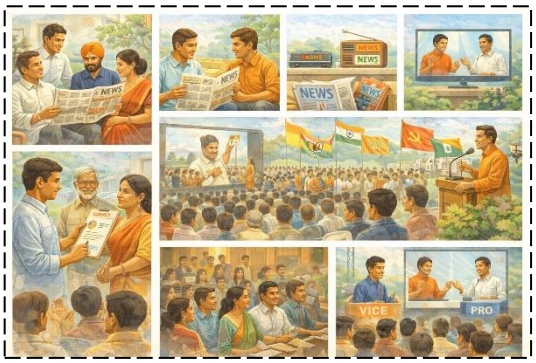

सशक्त जनमत के निर्माण में बाधाएँ

सशक्त जनमत के निर्माण में निम्न बाधाएँ आती हैं-

- राजनीति के प्रति लोगों की **उदासीनता**
- **निरक्षरता और जागरूकता का अभाव**
- **गरीबी,** जो लोगों को सार्वजनिक मामलों से दूर रखती है
- **जातिवाद और सांप्रदायिकता**

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- **पक्षपाती और नियंत्रित प्रेस**

स्वस्थ जनमत के लिए प्रेस का **स्वतंत्र और निष्पक्ष** होना आवश्यक है।

दबाव समूहों का अर्थ

- दबाव समूह **संगठित और स्वैच्छिक समूह** होते हैं।
- ये अपने हितों के पक्ष में **सरकारी नीतियों को प्रभावित** करने का प्रयास करते हैं।
- ये **चुनावों में भाग नहीं लेते**।
- ये औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था के बाहर कार्य करते हैं।
- ये **जनमत के निर्माण में सहायता** करते हैं।

राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर

राजनीतिक दल	दबाव समूह
चुनाव लड़ते हैं	चुनाव नहीं लड़ते
सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य	सत्ता को प्रभावित करना उद्देश्य
व्यापक उद्देश्य	सीमित और विशिष्ट हित
औपचारिक संगठन	अनौपचारिक संगठन

भारत में दबाव समूहों का वर्गीकरण

(A) व्यावसायिक दबाव समूह

1. समान पेशे से जुड़े लोगों द्वारा गठित।

2. उदाहरण:

- **व्यापारिक संगठन:**- FICCI, CII, ASSOCHAM
- **श्रमिक संघ:-** AITUC, CITU

किसान संगठन, शिक्षक और छात्र संघ

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(B) सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव समूह

1. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या भाषाई हितों को बढ़ावा देते हैं।

2. उदाहरण - आर्य समाज, RSS, VHP, रामकृष्ण मिशन, YMCA

(C) संस्थागत दबाव समूह

1. सरकारी तंत्र के भीतर रहकर कार्य करते हैं।

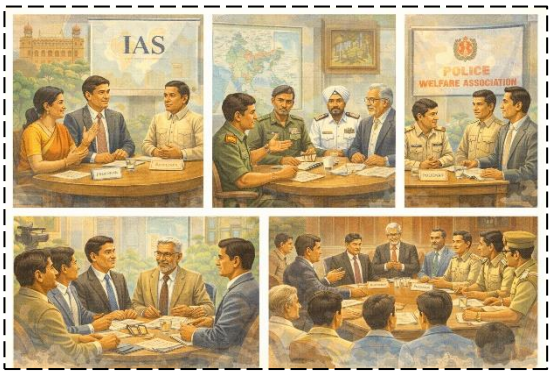

2. उदाहरण:

- सिविल सेवा संघ
- रक्षा कर्मी संगठन
- पुलिस कल्याण संघ

(D) तदर्थ दबाव समूह

1. अस्थायी और विशेष उद्देश्य के लिए गठित।

2. उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त हो जाते हैं।

3. उदाहरण:

- प्राकृतिक आपदाओं में राहत संगठन
- जल विवाद से जुड़े संगठन

दबाव समूहों की भूमिका

दबाव समूह:

1. जनता और सरकार के बीच **कड़ी** का कार्य करते हैं।

2. लोगों को **सामाजिक-आर्थिक मुद्दों** पर जागरूक करते हैं।

3. नीति-निर्माण और प्रशासन को **प्रभावित** करते हैं।

4. भावी नेताओं के लिए **प्रशिक्षण का माध्यम** बनते हैं।

5. लोकतांत्रिक मूल्यों और **जनभागीदारी को मजबूत** करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

दबाव समूहों द्वारा अपनाए गए तरीके

दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए:

1. लॉबिंग और समझाना
2. याचिकाएँ और ज्ञापन
3. मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग
4. प्रचार और अभियान
5. रैलियाँ, धरने और प्रदर्शन
6. रैलियाँ, धरने और प्रदर्शन

इनका प्रभाव निर्भर करता है:

1. संगठन
2. नेतृत्व
3. जनसमर्थन
4. आर्थिक संसाधन
5. निर्णय-निर्माण संस्थाओं तक पहुँच

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

TOP 5 QUESTIONS

प्रश्न-1. जनमत क्या है? इसकी विशेषताएँ बताइए।

उत्तर- जनमत सार्वजनिक मुद्दों पर समाज के एक वर्ग के सुविचारित और संगठित विचारों को कहते हैं। यह सर्वसम्मत नहीं होता, विचारों की विविधता को दर्शाता है, तार्किक होता है और समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।

प्रश्न-2. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- जनमत सरकार को दिशा देता है, कानून निर्माण में सहायता करता है, प्रहरी की भूमिका निभाता है, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करता है।

प्रश्न-3. जनमत के निर्माण में सहायक एजेंसियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- जनमत का निर्माण राजनीतिक समाजीकरण, प्रेस, रेडियो-टेलीविजन, सिनेमा, सार्वजनिक सभाएँ, राजनीतिक दल, जनमत सर्वेक्षण और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से होता है।

प्रश्न-4. दबाव समूह क्या हैं? इन्हें राजनीतिक दलों से अलग बताइए।

उत्तर- दबाव समूह संगठित स्वैच्छिक समूह होते हैं जो बिना चुनाव लड़े सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों के विपरीत, इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि उसे प्रभावित करना होता है।

प्रश्न-5. भारत में दबाव समूहों की भूमिका और उनके तरीकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर- दबाव समूह जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए वे लॉबिंग, मीडिया अभियान, याचिकाएँ, प्रदर्शन और जनमत निर्माण जैसे तरीकों का प्रयोग करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/